



बिहार सरकार

फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - लदनिया

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2024/325033

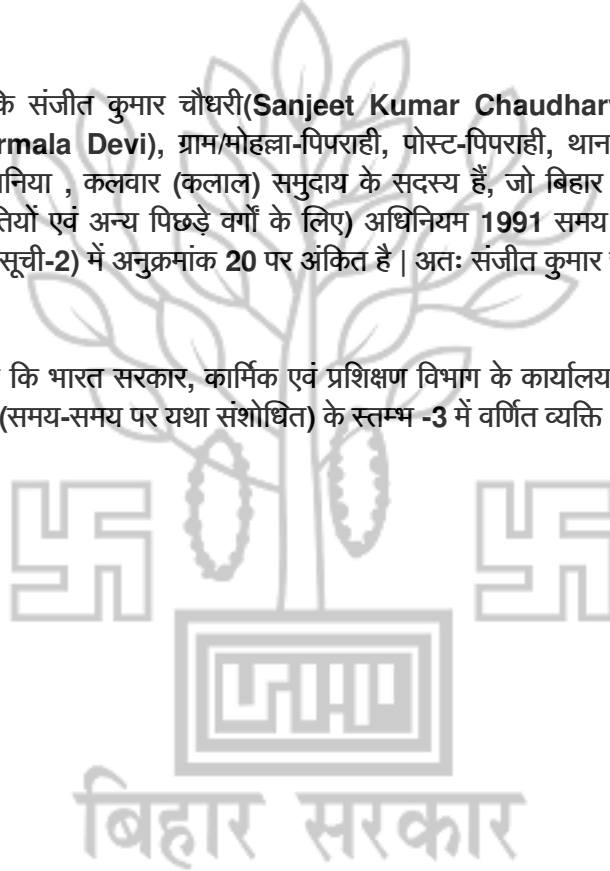
दिनांक : 18/04/2024

प्रमाणित किया जाता है कि संजीत कुमार चौधरी(Sanjeet Kumar Chaudhary), पिता-रघुनाथ चौधरी(Raghunath Chaudhary), माता-निर्मला देवी(Nirmala Devi), ग्राम/मोहल्ला-पिपराही, पोस्ट-पिपराही, थाना- लदनियाँ, प्रखंड-लदनिया, अनुमंडल-जयनगर, जिला-मधुबनी, राज्य बिहार बनिया, कलवार (कलाल) समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 20 पर अंकित है। अतः संजीत कुमार चौधरी, पुत्र- रघुनाथ चौधरी, माता-निर्मला देवी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : लदनिया

दिनांक : 18/04/2024



राजस्व अधिकारी लदनिया
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।
नोट: यह दस्तावेज DigiLocker पर भी उपलब्ध है।